

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>केवलराम चौधरी बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 135/2019</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>14.08.19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी केवलराम चौधरी पुत्र स्व. तुलसीराम चौधरी निवासी आदर्श स्कूल के पास, बनाड़, तहसील व जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 27.05.19 में उसके द्वारा (1) राजस्व गांव बावरला में जो गौचर भूमि है उसकी जमाबंदी और मौका रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी आज अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.(तहसीलदार जोधपुर) से जरिये पत्रांक 465 दिनांक 02.08.19 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया कि अपीलांत द्वारा चाही गई सूचना गांव बावरला की गौचर भूमि की जमाबंदी की प्रति अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 290 दिनांक 18.06.19 के द्वारा कार्यालय के साईकल सवार के साथ उपलब्ध करवाई जा चुकी है। रिपोर्ट के साथ पत्र की फोटो प्रति भी संलग्न की है।</p> <p>चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है, अतः प्रार्थी की अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	